बीपीकेपी कार्यक्रम के दिशानिर्देश

कार्यान्वयन रणनीति

क्षेत्र और लाभार्थियों का चयन

- शुष्क भूमि, वर्षा वाले क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पट्टेदार किसानों सहित छोटे और सीमांत खेत धारकों को पसंदीदा लक्षित समूह के रूप में शामिल किया जाना है।

- क्लस्टर का आकार ब्लॉक स्तर पर 1000 हेक्टेयर होगा अर्थात प्रत्येक चयनित ब्लॉक में एक क्लस्टर का गठन किया जाएगा। एक ब्लॉक में, लगभग 1000 हेक्टेयर के क्षेत्र को कवर करने वाली लगभग 4-5 ग्राम पंचायतों (10 गांवों) का चयन किया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां सामाजिक जमाव और महिला स्व-सहायता समूहों की उपस्थिति अच्छी है। जहां तक संभव हो, उपयोगी वस्तु (कमोडिटी) आधारित क्लस्टर बनाए जाएंगे। यदि क्लस्टर आकार 1000 हेक्टेयर से कम हो जाता है, तो निधियों को आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा। लेकिन किसी भी मामले में, क्लस्टर का आकार 500 हेक्टेयर से कम नहीं होना चाहिए।

- डीएसी एवं परिवार कल्याण और अन्य मंत्रालयों एवं विभागों की योजनाओं के साथ अभिसरण जहां भी संभव हो, सुनिश्चित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, एमओए एंड एफडब्ल्यू की एफपीओ योजना, डीएएचडीएफ से संबंधित मुद्दों पर गायों की खरीद और उनका रखरखाव, गोशालाओं की स्थापना जैसे मुद्दों पर; एनआरएलएम/एमकेएसपी और एमओआरडी की अन्य योजनाओं के साथ सामाजिक रूप से जुटाए गए समूहों के उपयोग के लिए अभिसरण; जैविक बीज उत्पादन के लिए डीएसी एंड एफडब्ल्यू के बीज गांव कार्यक्रम के साथ अभिसरण; बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए एमआईडीएच के साथ अभिसरण आदि।

हैंडहोल्डिंग और क्षमता निर्माण के लिए जनशक्ति की तैनाती

पीकेवीवाई मानकों के अनुसार जनशक्ति की तैनाती के लिए प्रति वर्ष 1500/- प्रति हेक्टेयर प्रदान किया जाता है (15 लाख रु. प्रति वर्ष प्रति 1000 हेड ब्लॉक स्तर क्लस्टर)। प्रत्येक ब्लॉक-स्तरीय क्लस्टर में निम्नलिखित पदाधिकारियों/संसाधन व्यक्तियों को नियोजित किया जाना है।

1. चैंपियन किसान और क्लस्टर समन्वयक: क्लस्टरों के गठन और किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए 1000 हेक्टेयर के प्रत्येक क्लस्टर के लिए एक क्लस्टर समन्वयक-कम चैंपियन किसान (सीसीसीएफ) को तैनात किया जाएगा। इन चैंपियन किसानों का चयन आंध्र प्रदेश (आरवाईएसएस), हिमाचल प्रदेश या देश में पहले से ही प्रशिक्षित किसानों के साथ उपलब्ध संसाधन पूल से राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा जो काफी समय से प्राकृतिक खेती में शामिल हैं। सीसीसीआर 20,000/-रु. प्रति माह के मानदेय पर काम पर रखा जाएगा।

2. वरिष्ठ स्थानीय संसाधन व्यक्ति: प्रत्येक 1000 हेक्टेयर ब्लॉक स्तर क्लस्टर के लिए एक वरिष्ठ स्थानीय संसाधन व्यक्ति (एसएलआरपी) तैनात किया जाएगा। एसएलआरपी एक अनुभवी प्राकृतिक किसान हो सकता है या जेडबीएनएफ सिद्धांतों और पीजीएस प्रमाणन प्रणालियों के तहत प्राकृतिक कृषि प्रणालियों में प्रशिक्षित एक कृषि स्नातक हो सकता है। एसएलआरपी डेटा प्रबंधन और क्लस्टर के आवश्यक प्रलेखन के लिए भी जिम्मेदार होगा। एसएलआरपी को 15,000/- के मानदेय पर काम पर रखा जाएगा।

3. स्थानीय संसाधन व्यक्ति (एलआरपी): प्रत्येक 1000 ब्लॉक स्तर के क्लस्टर के खिलाफ दो एलआरपी तैनात किए जाएंगे। एलआरपी एक अनुभवी प्राकृतिक कृषि किसान या बीपीकेपी/जेडबीएनएफ क्लस्टर या इसी तरह की अन्य प्राकृतिक कृषि प्रणालियों के प्रबंधन में 2-3 साल का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा। गैर-सरकारी संगठनों के पास उपलब्ध संसाधन व्यक्तियों को वरिष्ठ एलआरपी के रूप में भी चुना जा सकता है। सीसीसीएफ, एसएएल सीसीसीएफ, एसएलआरपी और एलआरपीएस क्षमता निर्माण और निरंतर हैंडहोल्डिंग के लिए मुख्य संसाधन व्यक्ति होंगे। एलआरपी 10,000/-रु. प्रति माह के मानदेय पर काम पर रखा जाएगा।

4. सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (सीआरपी): 10 सीआरपी को 1000 हेक्टेयर ब्लॉक स्तर के क्लस्टर के लिए काम पर रखा जाएगा और ग्रामीण स्तर पर तैनात किया जाएगा। चैंपियन किसानों द्वारा प्रशिक्षित किसानों में से कुछ को पहले वर्ष में प्रशिक्षण के बाद सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) के रूप में चुना जा सकता है। ये

सीआरपी परिचालन गांव में स्थित होंगे और अधिमानतः उसी गांव के निवासी होंगे। सीआरपी को 5,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।

5. क्लस्टर कार्यालय प्रबंधन और डेटा एंट्री ऑपरेशन: प्रत्येक 1000 हेक्टेयर ब्लॉक स्तर क्लस्टर कार्यालय, कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रशिक्षण किट (जैसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर) के प्रबंधन के लिए 2.4 लाख रुपए प्रतिवर्ष को रोकने और प्रलेखन, डेटा प्रबंधन और पीजीएस प्रमाणीकरण आवश्यकताओं के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर को किराए पर रखा जाएगा।

क्लस्टर गठन, क्षमता निर्माण, एक्सपोज़र विज़िट और फील्ड अधिकारियों का प्रशिक्षण

पीकेवीवाई के अनुसार प्रति वर्ष 1000/- रु. प्रति हेक्टेयर (10 लाख रुपए प्रति 1000 हेक्टेयर ब्लॉक स्तर) क्लस्टर निर्माण, निरंतर क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और क्षेत्र के अधिकारियों और किसानों के एक्सपोज़र विज़िट के लिए प्रदान किया जाएगा। वार्षिक आधार पर क्षमता निर्माण की गतिविधियों का पालन किया जाएगा:

1. **7 दिन ऑन-फील्ड व्यावहारिक प्रशिक्षण जिसमें एलआरपी और सीआरपी के लिए एक्सपोज़र विजिट शामिल है:** 7 दिन का प्रशिक्षण जिसमें प्राकृतिक फार्मों के लिए एक्सपोज़र विजिट शामिल है, हर साल एलआरपी और सीआरपी के लिए 50,000/-रु. की लागत से आयोजित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण राज्य द्वारा व्यवस्थित बीपीकेपी/जेडबीएनएफ विशेषज्ञों और चैंपियन प्राकृतिक किसानों द्वारा प्रदान किया जाएगा।
1. **बाह्य संसाधन व्यक्तियों द्वारा सभी संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी/एलआरपी/विशेषज्ञ किसानों/एसएलआरपी आदि) की वार्षिक क्षमता का निर्माण:** सभी संसाधन व्यक्तियों के लिए दो दिन की वार्षिक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण बैठक का आयोजन आयोजित किया जाएगा। 15 व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए 50,000 /-रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
2. **विशेषज्ञ प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों/या कृषि स्नातक/एसएलआरपी के माध्यम से समूहों की क्षमता का निर्माण:** क्लस्टर किसान प्रशिक्षण 50 किसानों के बैच में आयोजित किया जाएगा। 250 रुपये प्रति किसान की दर से ग्राम स्तर पर बीस प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
3. **एलआरपी और सीआरपी द्वारा किसानों का प्रशिक्षण:** 25 किसानों के एक बैच में सभी किसानों के लिए एक दिन की अवधि वाले 5 प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। इस तरह के प्रशिक्षणों के लिए प्रति किसान प्रति प्रशिक्षण 100/-रु. की दर से प्रति किसान 500/-रु. की राशि प्रदान की जाएगी।
4. **राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए एक दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन/कार्यशाला, केवीके, किसानों, एसएलआरपी, एलआरपीएस और सीआरपी के साथ एसएयू:** प्राकृतिक खेती के तौर-तरीकों पर ऑन-फील्ड प्रदर्शन और किसानों के अनुभवों से सीखने के लिए विभिन्न राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय के अधिकारियों के लिए क्लस्टर क्षेत्र में राज्य स्तरीय सम्मेलन के लिए प्रति वर्ष 1.5 लाख रु. प्रदान की जाएगी

क्षेत्रीय परिषदों (आरसी) के माध्यम से पीजीएस प्रमाणन:

1. भौतिक सत्यापन के लिए **आरसी को सेवा प्रभार**, बिक्री सुविधा के लिए टीसी प्रदान करने सहित प्रमाणन पृष्ठांकन और प्रमाण पत्र जारी करना। 700/-रु. प्रति हेक्टेयर/वर्ष प्रदान की जाएगी (1000 हेक्टेयर ब्लॉक स्तर क्लस्टर के लिए प्रति वर्ष कुल 7.00 लाख रु.)

2. **एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से अवशेष विश्लेषण:** पीजीएस-आरसी और पीजीएस-जेडसीएस बीपीकेपी उत्पादन दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए प्रति 100 हेक्टेयर में 3 नमूने की दर से कीटनाशक अवशेषों के स्तर का पता लगाने के लिए अवशेष विश्लेषण कर रहे हैं। पीजीएस-इंडिया सचिवालय द्वारा विधिवत अनुमोदित एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाएगा। प्रति 1000 हेक्टेयर ब्लॉक-स्तरीय क्लस्टर प्रति वर्ष अवशेष परीक्षण के लिए 3 लाख रुपये (दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए 300 रुपये प्रति हेक्टेयर / वर्ष) की राशि प्रदान की जाएगी।

किसानों को एक समय के लिए कृषि खाद उत्पादन अवसंरचना के लिए प्रोत्साहन

तरल खाद ड्रम और वनस्पति निकालने की तैयारी करने वाले कंटेनरों की खरीद के लिए एकमुश्त सहायता के रूप में किसानों को 2000/-रु. प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

ब्रांड बिल्डिंग, मार्केटिंग और वैल्यू एडिशन
पीकेवीवाई के प्रचलित मानदंडों के अनुसार मामले-दर-मामले आधार पर राज्य इस तरह की सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

घटकों और लागत मानदंडों का वर्ष-वार ब्यौरा अनुलग्नक VII के रूप में संलग्न है।

मौजूदा घटकों के तहत बीपीकेपी के घटक और वर्ष-वार लागत मानदंड और 3 वर्ष के लिए पीकेवीवाई के लागत मानदंड।

अनुलग्नक VII

3 वर्ष के लिए पीकेवीवाई के मौजूदा घटकों और लागत मानदंडों के तहत बीपीकेपी के घटक और वर्षवार लागत मानदंड।

क्र.सं.	घटक	सहायता का पैटर्न लाख रु./1000 क्लस्टर हेक्टेयर			3 वर्ष के लिए कुल लागत	प्रति किसान कुल लागत
		वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3		
क. कार्यक्रम कार्यान्वयन						
क.1	**कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जनशक्ति का नियोजन और प्रबंधन लागत जिसमें डेटा प्रबंधन और अपलोड करना 1500/-रु. प्रति हे. की दर से शामिल है।**	**15.00**	**15.00**	**15.00**	**45.00**	**4500.00**
क.2	**क्लस्टर का गठन और क्षमता निर्माण जिसमें अनुभव के लिए दौरे और फील्ड अधिकारियों के प्रशिक्षण शामिल हैं।**	**10.00**	**10.00**	**10.00**	**30.00**	**3000.00**

ख. पीजीएस प्रमाणन		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ख.1	**पीजीएस क्षेत्रीय परिषदों के लिए सेवा प्रभार**	**7.00**	**7.00**	**7.00**	**21.00**	**2100.00**
ख.2	**अवशिष्ट विश्लेषण**	**0**	**3.00**	**3.00**	**6.00**	**600.00**
ग. किसानों को प्रोत्साहन		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ग.1	**किसानों को डीबीटी के रूप में प्रोत्साहन**	**20.00**	**0**	**0**	**20.00**	**2000.00**
	कुल	**52.00**	**35.00**	**35.00**	**122.00**	**12200.00**

मूल्य संवर्धन, विपणन और प्रचार

बीपीकेपी उत्पादों के मूल्य संवर्धन, विपणन और प्रचार के लिए, राज्य प्रोजेक्ट मोड में बीपीकेपी किसानों के लिए अपने विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं और डीएसी और एफडब्ल्यू से मामले-दर-मामले आधार पर सामान्य पीकेवीवाई कोष से धन प्राप्त कर सकते हैं।

श्रमशक्ति नियोजन और क्षमता निर्माण के लिए ब्लॉक स्तर में 1000 हेक्टेयर क्लस्टर के लिए व्यय और लागत मानदंडों का ब्यौरा

घटक	दर रु.	लागत /वर्ष लाख रु.	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3
जनशक्ति का नियोजन					
चैंपियन किसान और क्लस्टर समन्वयक – एक	20,000 प्रति माह	2.40	15.00 लाख रु. की दर से 1500/ हेक्टेयर/वर्ष)	15.00 लाख रु. की दर से (1500/ हेक्टेयर/ वर्ष)	15.00 लाख रु. की दर से (1500/हेक्टेयर/वर्ष)
वरिष्ठ स्थानीय विशेषज्ञ – एक	15,000 प्रति माह	1.80			
स्थानीय विशेषज्ञ दो - (एलआरपी)	10,000 प्रति माह	2.40			
सामुदायिक विशेषज्ञ (सीआरपी)– 10	5000 प्रति माह	6.00			

क्लस्टर कार्यालय प्रबंधन और डाटा एंट्री संचालन	एलएस	2.40			
क्लस्टर गठन, क्षमता निर्माण, एक्सपोज़र विज़िट और फील्ड अधिकारियों का प्रशिक्षण					
7 दिन ऑन-फील्ड व्यावहारिक प्रशिक्षण जिसमें शामिल है एलआरपी और सीआरपी के लिए एक्सपोज़र विजिट - 1	50,000/- प्रति प्रशिक्षण 1/ वर्ष	0.50 लाख			
सभी विशेषज्ञों (सीआरपी / एलआरपी / विशेषज्ञ किसानों /एसएलआरपी आदि) का बाहरी विशेषज्ञों द्वारा वार्षिक क्षमता निर्माण	50,000/- प्रशिक्षण, 1/ वर्ष	0.50 लाख			
विशेषज्ञ प्राकृतिक कृषि किसानों/ या कृषि स्नातक/ एसएलआरपी के माध्यम से क्लस्टरों का क्षमता निर्माण प्रत्येक 50 किसानों वाले 20 प्रशिक्षण	12,500 प्रति प्रशिक्षण	2.50 लाख	10.00 लाख (@ रू. 1000/हेक्टेयर/ वर्ष)	10.00 लाख (@ रू. 1000/हेक्टेयर/ वर्ष)	10.00 लाख (@ रू. 1000/हेक्टेयर/ वर्ष)
एलआरपी और सीआरपी द्वारा किसानों का प्रशिक्षण: 5 प्रशिक्षण/ गांव	500/ - प्रति किसान	5.00 लाख			
राज्य सरकार केवीके, एसएयू के अधिकारियों का किसानों, एसएलआरपी, एलआरपी और सीआरपी के साथ एक दिवसीय राज्य स्तरीय	1.5 लाख/ वर्ष	1.50 लाख			

सम्मेलन/कार्यशाला	-
एक	

स्रोत: कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय